



कमांक 690/अतिथि व्या./2025

अभनपुर, दिनांक 30/12/25

पुर्नविज्ञापन

अतिथि व्याख्याता

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन का पत्र कमांक/एफ 3-54/स्था/2020/38-1 दिनांक 20.06.2024 एवं उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के आदेश कमांक/77/नि.स./आ.उ.शि/2024 दिनांक 12.07.2024 में शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए 'समाजशास्त्र' विषय के अतिथि व्याख्याता पद पर अध्यापन कार्य हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) दिनांक 07.01.2026 तक कार्यालयीन समय में 5:30 अपराह्न तक प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञापन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी महाविद्यालय के वेबसाइट [Website: www.gkhca.in](http://www.gkhca.in) में उपलब्ध है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

रिक्त पदों का विवरण

क	विषय	सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की संख्या
01	समाजशास्त्र	01

30.12.25

प्राचार्य,
 डॉ. प्रदीप कुमार शुक्ला COLLEGE
 शास.काव्यो.हीरालाल महाविद्यालय
 अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ0कमांक 691/अतिथि व्या0/2025
 प्रतिलिप :-

अभनपुर, दिनांक 30/12/25

1. आयुक्त उच्च शिक्षा, संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय एन.पी.जी. महाविद्यालय रायपुर।
3. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
4. संयुक्त संचालक जनसंपर्क विभाग, जनसंपर्क संचालनालय को प्रकाशनार्थ प्रेस विज्ञप्ति।
5. महाविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

30/12/25
प्राचार्य

डॉ. प्रदीप कुमार शुक्ला COLLEGE
 शास.काव्यो.हीरालाल महाविद्यालय
 अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

①

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2263412 ईमेल Email ID - highereducation.cg@gmail.com

पत्र क. Q /आउशि/2025
प्रति,

नवा रायपुर अटलनगर, दिनांक - 24/08/2025

समस्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :- अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में।
संदर्भ :- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 3-54/स्था/2020/38-1 दिनांक 22.08.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य शासन के संदर्भित आदेश के द्वारा अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं की, अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के परिपत्र में नियुक्ति की जांच हेतु संसोधन जांच समिति गठित की गई है जिसका प्रतिवेदन जल्द समिति को 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

तब तक के लिए जिन महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति का कार्यवाही प्रक्रियार्थन है, को तत्काल प्रभाव से रोका जाता है।

साथ ही ऐसे महाविद्यालय जहां अतिथि व्याख्याताओं के नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जा चुके हैं, उन महाविद्यालयों में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. संतोष कुमार देवांगन, अध्यक्ष)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)

10/08/25

24.08.2025
21.08.2025

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक
प्रति.

ESTB/7399/2025-RAJPATRIT STHAPANA

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक.....

18/8/25

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय :- अतिथि व्याख्याता नीति 2025 के कंडिका 5.4 का स्पष्टीकरण
संदर्भ :- अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3-54/स्था/2020/38-1 दिनांक 20.06.2024

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है संदर्भित पत्र द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के कंडिका 5.4 में "छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।" के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि यदि विषय विशेष हेतु आमंत्रित पद विरुद्ध प्राप्त आवेदन में "समान श्रेणी एवं समान मेरिट पॉइंट होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा।" (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
DAYASHANKAR JAGAT ✓
Date: 18-08-2025 ✓
16:50:42 पर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
छत्तीसगढ़

18/8/25